महत्वपूर्ण एवं खास

12 वर्ष का बालक फर्राटे से चला रहा था मोपेड, गिरने से पैर हुआ फैक्चर

डॉयल 112 के आरक्षक ने पहुंचाया खरसिया अस्पताल

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ बनाने की दृष्टि से नित कार्यवाही एवं जागरूकता कार्यक्रम कर रही है । माह जनवरी में जिला पुलिस द्वारा स्कूलों में चलाए गए यातायात जागरूकता अभियान के द्वारा भी बच्चों के माध्यम से अभिभावकों को यातायात के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया था तथा यातायात पुलिस द्वारा भी कई मर्तबा शहर के विभिन्न हिस्सों में ऐसे दुपहिया वाहनों की जांच की गई जिसे नाबालिग बच्चे ड्राइव कर रहे थे। ऐसे बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर उनके बच्चों को वाहन न चलाने दिये जाने समझाइश दी गई और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना भी किया गया। उसके बावजूद अभिभावकों द्वारा नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए देतें हैं जिससे दुर्घटना की सम्भावना प्रबल होती है । आज एक नाबालिग स्वयं मोपेड चलाता हुआ गिरकर दुर्घटना का शिकार हो गया । जानकारी के अनुसार दिनांक 03.05.19 के सुबह खरसिया राइनो को झाराडीह में मारपीट का इवेंट मिला, जिस पर ईआरवी वाहन झाराडीह रवाना हुई, इसी बीच रास्ते में खरसिया राइनो को 09:29 बजे पुनः ग्राम भागोदिह में एक्सीडेंट का इवेंट मिला और इस इवेंट पर तत्काल पहुंचने का निर्देश दिया गया । ईआरवी वाहन में आरक्षक भगतराम टंडन ग्राम भागोडिह पहुंचा, जहां 12 वर्षीय बालक रोशन महंत पिता खरवन महंत उम्र 12 वर्ष अपने छोटे भाई को मोपेड टीव्हीएस एक्सल में बिठाकर घुमा रहा था, तेज गति के कारण बालक अनियंत्रित होकर गिर गया जिससे उसे गंभीर चोटें आयी । आरक्षक ने आहत रोशन महंत को खरसिया अस्पताल पहुंचाया, बालक की मां ने बताया कि उसके छोटे लड़के को चोटें नहीं आयी है, रोशन महंत का पैर फैक्चर हो गया है जिसे रायपुर रिफर किया गया है । अभिभावकों किसी भी स्थिति में अपने बच्चों को वाहन तब तक न दें जब तक की वे पूरी तरह से 18 वर्ष के न हो जाए और उनके ड्राइविंग लाइसेंस न बन जाए।

उधारी पैसा मांगने पर तलवार दिखाकर धमकाया, मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। ग्राम बासनपाली थाना - पुसौर निवासी धनसाय महंत पिता जानकी प्रसाद उम्र 28 वर्ष दिनांक 02.04.19 को थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 01.05.19 के शाम गांव के सुनील यादव को रास्ते में अपने उधार दिये हुए रकम को मांगा तो सुनील यादव नाराज होकर नही दुंगा तो क्या कर लोगे बोला और अपने घर चला गया । रात्रि करीब 11:00 बजे सुनील यादव धनसाय के घर के बाहर एक लोहे की तलवार लेकर आया और धनसाय महंत को रास्ते में उधारी पैसा मांगते हो कहकर धमकाने लगा, तब आसपास के लोग आकर माहौल शांत कराये । घटना की रिपोर्ट पर थाना पुसौर में आरोपी सुनील यादव पिता दशरथ यादव उम्र 18 वर्ष के विरूद्ध अप.क्र. 71/19 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही कर आरोपी से एक लोहे की तलवार जप्त कर रिमाण्ड पर भेजा गया है ।

खेत की रजिस्ट्री पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। ग्राम कुलबा थाना - कोतरारोड श्रीमती वृन्दावती पटेल पिता लीलाम्बर पटेल उम्र 48 वर्ष द्वारा थाना कोतरारोड़ में गांव के श्रीमती रूकमणी पटेल एवं रघुनाथ सिदार द्वारा 2 लाख रूपये उधार लेकर बदले में खेत (जमीन) की रजिस्टरी करा देने के नाम पर धोखाधड़ी करने संबंधी आवेदन पत्र दिया गया था, जिस पर रूकमणी पटेल एवं रघुनाथ सिदार के विरूद्ध अप.क्र. 93/19 धारा 420,34 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया । जानकारी के अनुसार ग्राम कुलबा में रहने वाले रूकमणी पटेल पति स्व. हिगलेश्वर पटेल के घर रघुनाथ सिदार का आना जाना था । रघुनाथ सिदार रूकमणी पटेल के घर, खेत आदि की देखरेख करता था । फरवरी 2009 में रघुनाथ सिदार गांव के वृन्दावती पटेल से रूकमणी पटेल को रूपयों की जरूरत है कहकर 2 लाख रूपये लिया था और बोला कि रूपयों के बदले में रूकमनी पटेल की घोरबगा खार की 80-85 डिसमिल खेत को उसके नाम पर रजिस्ट्री करा देगा । एक माह बाद वृन्दावती, रघुनाथ सिदार को खेत रजिस्ट्री करने बोली तो अभी रूकमनी पटेल को कर्ज ज्यादा हो गया है कहकर टाल मटोल किया और कुछ दिनों बाद रूकमणी पटेल का हस्ताक्षर किया हुआ एक इकरारनामा वृन्दावती को लाकर दिया और बोला कि बाद में जमीन रजिस्ट्री करा देंगे किन्तु रजिस्ट्री नहीं कराया। तब वृन्दावती, रूकमनी पटेल के पास जाकर जमीन रजिट्री करने के लिए बोली तो वह बोली कि मैं खेत रजिस्ट्री करने के नाम पर रूपये नहीं ली हूं न ही कोई कागज में दस्तखत की हूं । दोनों के धोखाधड़ी के कारण वृन्दावती पटेल को न ही रूपये मिले न ही उसके नाम पर जमीन रजिस्ट्री हुई है ।

कलेक्टर पहुंचे गढ़ कलेवा, लिया छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का जायका

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार आज पंजरी प्लांट स्थित न्यू ऑडिटोरियम में गढ़ कलेवा पहुंचे और वहां उन्होंने स्वादिष्ट छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का जायका लिया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त रमेश जायसवाल एवं नजूल अधिकारी श्रीमती सरस्वती बंजारे भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गढ़ कलेवा महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित है। यहां स्वादिष्ट छत्तीसगढ़ी व्यंजन फरा, दहरौरी, मालपुआ, मूंगबड़ा, चीला, ठेठरी, खुरमी, गुजिया सहित विभिन्न छत्तीसगढ़ी व्यंजन नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

क्या राजसात किए जा रहे वाहन को उसके मालिक की जानकारी में प्रयुक्त किया गया है?

» काले हीरे के काले कारोबार में पहाड़ी कोरवा की पि-कप जब्त, दोषी कौन ? » अपनों पे रहम, गैरों पे सितम की तर्ज पर वन कानून के रखवाले ?

वैसे भी भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत् यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि आरक्षित वन में अपराध किया गया है। साथ ही यह भी कि वन अपराध में प्रयुक्त वाहन को राजसात किए जाने के पूर्व यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि क्या वाहन को उसके मालिक की जानकारी में प्रयुक्त किया गया है? ऐसे निष्कर्ष के अभाव में अधिग्रहण अथवा राजसात की कार्यवाही का आदेश न्यायोचित नहीं है, ऐसा निर्णय देवकीनंदन शर्मा वि0 प्राधिकृत अधिकारी एवं अपर वनमंडलाधिकारी वगै0 में 2011 में माननीय उच्च-न्यायालय द्वारा दिया गया है।

न्यायसाक्षी/पत्थलगॉव। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ''कोयले में पि-कप जब्त'', ''आखिर कोयला लोड पि-कप का राज क्या है'', जैसे शीर्षक से प्रकाशित समाचार की सच्चाई के तह तक जाने के प्रयास में जब हमारे संवाददाता परमवीर भाटिया द्वारा धरमजयगढ़ तहसील के ग्राम साजापाली के आश्रित ग्राम ''आमानारा'' में निवासरत देश के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाने वाले पहाड़ी कोरवाओं से सम्पर्क किया और उक्त जब्त पि-कप के सम्बंध में जो जानकारी आई वो बेहद चौकाने वाली है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पि-कप स्वामी पहाड़ी कोरवा बागर साय पिता बिरजु राम कोरवा एवं गांव के अन्य कुछ जानकार व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि लगभग चार पांच माह पूर्व बाकारूमा परिक्षेत्र के तेजपुर वन परिसर रक्षक विनोद तिग्गा द्वारा लालमाटी (तेजपुर) के वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष उसत राम के साथ आकर गांव बागर साय कोरवा की पि-कप को किराये में वन क्षेत्रों से जब्ती लकड़ियों की ढुलाई करने हेतु मांगा गया, इनकार करने पर ये दोनों व्यक्ति कुछ दिनों बाद पुनः जब्ती लकड़ियों ढुलाई (परिवहन) करने हेतु पि-कप वाहन मांगने लगे। तब पि-कप स्वामी बागर साय द्वारा अपने घर परिवार वालों से सलाह मशविरा कर गांव के कुछ व्यक्तियों के समक्ष पच्चास हजार माह में किराया तय कर दिनांक 27/10/2018 को उक्त कथित सफेद कलर की टाटा पीकप क्र0 सीजी13 - 3402 माडॅल वर्ष 2017 को उक्त वन रक्षक के विश्वास एवं भरोसे पर, और उनके झांसे में आकर, पचास हजार रूपये एडवांस बतौर लेकर उनके सुपुर्द कर दिया गया, इसके बाद पि-कप स्वामी द्वारा बार-बार फोन पर सम्पर्क कर, उक्त पि-कप के किराया का पैसा मांगे जाने पर भी नहीं दिया गया, बल्कि वर्दी के रौब में उक्त वन रक्षक द्वारा पि-कप स्वामी बागर साय को धमका दिया जाता था। बताया गया कि, वर्दी के रौब में उक्त वन रक्षक द्वारा बागर साय कोरवा को उसका उक्त पि-कप वाहन नहीं लौटाया गया, और पच्चास हजार रूपये शुरू में एक माह का एडवांस बतौर दिये जाने के बाद, से आज तक अन्य कोई रकम बतौर किराया नहीं दिया गया।

क्या है प्रकरण

इस बीच बीते पांच अप्रैल को किसी मुखबिर की सूचना पर अवैध कोयला से लदे उक्त पि-कप वाहन को धरमजयगढ़ के एस.डी.एम. एन.के. चौबे द्वारा ग्राम तेजपुर के समीप पकड़ लिया गया, बताया तो यह भी गया है कि सामने से आ रही अवैध कोयला लोड उक्त पि-कप को जब एस.डी.एम. साहब द्वारा अपनी टीम के साथ रोकने की कोशिश की गयी, तब पि-कप चालक एस.डी.एम. साहब की वाहन को साइड कट मारते हुए निकल गया, उक्त पि-कप का पीछा जब एस.डी.एम. साहब द्वारा अपनी टीम के साथ किया गया, तब उक्त पि-कप का चालक एवं उसमे सवार अन्य लोग पि-कप को छोड़ खड़े कर भाग गये, जिसे एस.डी.एम. साहब द्वारा जब्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। पि-कप के चालक एवं उसमें सवार अन्य लोग के पकड़ में न आने के कारण पि-कप स्वामी एवं उसमें सवार आरोपियों का पता न चल सका।

उक्त पि-कप स्वामी पहाड़ी कोरवा बागर साय ने बताया कि जब्ती कार्यवाही के अगले दिन 6 अप्रैल को उसका बयान धरमजयगढ़ के एस.डी.एम. साहब द्वारा रेंजर के समक्ष अपने कार्यालय में लिया गया है, जिसमें मैनें उक्त जब्ती पि-कप के सम्बन्ध समस्त बातें जो कि किराया के सम्बंध में थीं, सच-सच बता दी। यह भी कहा कि, पुनः इसके पश्चात् 11 अप्रैल को साहू रेंजर द्वारा ग्राम साजापाली के वन रक्षक परिसर में मुझे बुलवाकर उक्त जब्त पि-कप के सम्बंध में मेरा बयान लिया गया है, उसे भी मैंने मेरी पि-कप को वन रक्षक तिग्गा द्वारा किराये में लिये जाने बाबत् सारी बातें सच-सच बता दी है।

''अपनों पे रहम, गैरों पे सितम''

सवाल यह उठता है कि उक्त पि-कप स्वामी बागर साय जो पहाड़ी कोरवा एवं जिसे देश के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र की उपाधि से नवाजा गया है, जो बीहड़ ग्रामीण अंचल एवं पहुॅच विहिन क्षेत्रों में निवासरत है, जो सीधे-साधे एवं सरल स्वभाव के होकर अनपढ़ एवं अज्ञानी हैं, जिनके रग-रग में झूठ बोलने का कहीं कोई स्थान ही नहीं है, क्या उक्त गरीब पहाड़ी कोरवा द्वारा अपनी पि-कप वाहन से संबंधित उक्त बातें एस.डी.एम. व संबंधित रेंजर को दिये अपने बयान में कही गयी बातें सच्ची हैं, ऐसा पीड़ित पहाड़ी कोरवा के चेहरे से ही स्पष्ट झलक रहा था। लेकिन इस सम्बंध में कोई कार्यवाही का नहीं संदेह को जन्म देता है कि आखिर क्यों सही संज्ञान नहीं लिया गया।

ग्राम तेजपुर के जानकार कुछ ग्रामीणों द्वारा खाकी वर्दी से डरे सहमे होते हुए, दबी जुबान से बताया गया कि उक्त वन रक्षक विनोद तिग्गा करीब एक वर्ष से यहां पदस्थ हैं, तब से इनकी गतिविधियां संदिग्ध है। यह भी कहा कि, इनके शासकीय क्वार्टर में बाहर से आये अनाधिकृत व्यक्तियों का जमावड़ा रहता है, जिनसे उक्त नाकेदार द्वारा अवैध कार्यों को अंजाम दिया जाता है, ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि कोयले में जब्ती उक्त पि-कप नाका क्वार्टर के बगल में कई बार खड़े रहती थी, जिससे रात के अंधेरे में जंगल के काले कारोबार को अंजाम दिया जाता था, ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त वन रक्षक द्वारा अपने सहयोगी उसतराम एवं अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ जंगल में अवैध लकड़ी काटने वालों को पकड़ कर उन्हें जेल भेजने का भय दिखाकर, उनके हथियार जब्त कर, उनसे भारी भरकम राशि वसूल कर जब्त लकड़ियों को शासकीय रिकार्ड में दर्ज न कर, उन्हें संबंधित वनमाफिया मित्रों को बिक्री कर दिया जाता है। दबी जुबान से गांव के ग्रामीणों द्वारा हमारे प्रतिनिधि को यह भी बताया गया कि यहां कोयले का काला कारोबार व लकड़ियों की अवैध कटायी सब उक्त वन रक्षक विनोद तिग्गा से मिली भगत कर हो रही है। जानकार सूत्रों ने यह भी बताया कि यहां वन क्षेत्र से कोयला खोदने वाले लेबरों से पांच सौ रूपये प्रति ट्रिप, एवं लोड करने वाले वाहन पीकप व ट्रैक्टर से एक हजार रूपये प्रति ट्रिप उक्त वन रक्षक द्वारा लिया जाता है। यह काला कारोबार रात के अंधेरे में एवं कभी-कभी दिन के उजाले में भी सीजन भर किया जाता है, यहां का सारा कोयला आसपास क्षेत्रों के इंटा भट्ठों में खपाया जाता है, जंगल के चारों ओर मुख्य मार्ग पर यहां ढाबों की गैर बसाहट है, जिनमें तस्करों का नेटवर्क चलता है, याने कि पकड़ने वाला कोई भी अधिकारी चारों ओर के किसी भी रास्ते से इन्हें पकड़ने की कोशिश यदि करेगा, तो तत्काल तस्करों को खबर हो जायेगी, एवं ये अपने सुरक्षित ठिकानों में पनाह ले लेंगे। यही कारण है कि उक्त काला कारोबार वन क्षेत्रों से धड़ल्ले से हो रहा है, जिसे रोक पाने का कार्य तत्काल प्रभाव से किया जाना चाहिए।

''सैंय्या भये कोतवाल, तो डर काहे का''

इतना बेखौफकाला कारोबार एक वन रक्षक द्वारा वन माफिया एवं खनिज माफियाओं से साठ-गांठ कर धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, एवं समाचार पत्रों के सुर्खियों में आने के बाद भी वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई संज्ञान न लिया जाना भी अनेक संदेहों को जन्म देता है, वैसे भी छोटी मोटी एवं साधारण शिकायतों पर अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। सवाल यह उठता है कि उक्त जब्त पि-कप की निष्पक्ष जांच कर संबंधित अधिकारी क्या एक गरीब पहाड़ी कोरवा एवं राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र को न्याय दिला पायेगा ? क्या दोषियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही होगी?

एएसआई इगेश्वर यादव को रायगढ़ एसपी ने किया निलंबित

लगातार

दैनिक न्याय साक्षी में 20 व 25 अप्रैल को प्रकाशित की गई थी...

» जांच में लापरवाही पड़ी महंगी

न्याय साक्षी/रायगढ़। तक़रीबन डेढ़ माह पहले आर.एल. अस्पताल में मरीज़ की हुई संदिग्ध मौत के मामले में विवेचना में लापरवाही बरतने वाले इन्विस्टिगेशन ऑफिसर सहायक उपनिरीक्षक इंगेश्वर यादव को रायगढ़ एसपी राजेश अग्रवाल ने सस्पेंड किया है। रायगढ़ एसपी की इस कार्यवाही के बाद महकमे में खलबली मच गई है।

राजेश अग्रवाल, एसपी रायगढ़ बता दें कि तक़रीबन डेढ़ माह पहले कोरबा ज़िले के रामपुर निवासी सुभाष कुर्रे की संदिग्ध मौत आर.एल. अस्पताल में हो गई थी,जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया था कि नर्स द्वारा ग़लत इंजेक्शन लगाए जाने के बाद सुभाष की मौत हुई है,घटना के बाद मकतूल के भाई ने कोतवाली में अस्पताल प्रबंधन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज़ करवाई थी,जिसकी विवेचना एएसआई इंगेश्वर यादव कर रहे थे,लेकिन उनके द्वारा विवेचना में लापरवाही बरतने के कारण मृतक के परिजनों ने इसकी शिकायत डीजीपी शिकायत सेल में की थी,जिसके बाद डीजीपी डीएम अवस्थी ने एसपी राजेश अग्रवाल और विवेचना अधिकारी को रायपुर तलब किया था,और इस मामले को लेकर एसपी और विवेचना अधिकारी की क्लास ली थी, जिसके बाद एसपी ने इंगेश्वर यादव को सस्पेंड कर दिया है।

इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने भी पुष्टि करते हुए कहा कि एएसआई को कल ही एसपी ने जांच में लापरवाही बरतने के कारण सस्पेंड कर दिया है।

कलेक्टर ने सब्जी एवं फ्रुट मार्केट सहित अन्य कार्यों के लिए किया विभिन्न चिन्हांकित स्थानों का मुआयना

» नजूल भूमि पर अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज शहर के विभिन्न स्थानों में सब्जी मार्केट सहित अन्य कार्यों के लिए चिन्हांकित स्थानों का मुआयना किया। उन्होंने किरोड़ीमल शास.कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के सामने 10 हजार स्क्वायर फीट की भूमि में सब्जी मंडी बनाने के निर्देश दिए। जिससे संजय काम्पलेक्स के भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। वहीं बड़े अतरमुड़ा, सिविल लाइन्स, चक्रधर नगर के निवासियों को सब्जियां उपलब्ध हो सकेगी। कलेक्टर ने विभिन्न स्थानों के निरीक्षण के दौरान नजूल भूमि पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश नगर निगम आयुक्त रमेश जायसवाल एवं नजूल अधिकारी श्रीमती सरस्वती बंजारे को दिए।

कलेक्टर ने श्रेष्ठा होटल के समीप 30 स्क्वायर फीट जमीन पर शादी घर के रूप में निर्माण करने के निर्देश दिए। वहीं आर्शीवादपुरम में बस स्टैण्ड के लिए जमीन चिन्हांकित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि टीवी टावर के पास की भूमि पर पालिका बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने भगवानपुर पंचायत भवन के पास की जमीन का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के क्रम में वे जूटमिल स्थित पुराना बस स्टैण्ड भी गए। जहां उन्होंने नगर निगम आयुक्त को फ्रुट मार्केट, वेजीटेबल मार्केट एवं फिश मार्केट के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480